न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 20 / 2016

अपीलांटस

1. विशनाराम पुत्र रूपाराम
2. टीकमाराम पुत्र रूपाराम
3. चैनाराम पुत्र रूपाराम
   जाति जाट निवासी गोलिया
   जैतमाल तहसील
   गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटस

1. मेहताराम पुत्र फूआराम
2. पदमाराम पुत्र फुआराम
3. तेजाराम पुत्र फुआराम
4. लिखमाराम पुत्र कोहलाराम
5. हुक्माराम पुत्र कोहलाराम
6. चेतनराम पुत्र कोहलाराम
7. मगाराम पुत्र कोहलाराम
8. मु.झीमों बेवा कोहलाराम
   जाति जाट निवासी
   गोलिया जैतमाल तहसील
   गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
9. प्रबन्धक सहकारी भूमि
   विकास बैंक शाखा
   बालोतरा
10. प्रबन्धक बी.सी.सी.बी. शाखा
    सिणधरी जिला बाड़मेर
11. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 10.6.2015 द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी

उपस्थित–
1. श्री बांकाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से।
2. श्री भोमाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट स. 04 से 07 की ओर से।
3. रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 03, 08 से 10 एकतरफा।
4. रेस्पोडेंट संख्या 11 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

न्यायालय अपर क... बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आदेश

दिनांक 28.02.2017

1. संक्षेप में अपीलान्टस की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि म्ल खेत खसरा नंबर 209 रकबा 99.05

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

बीघा, खसरा नंबर 228 रकबा 25.16 बीघा कुल रकबा 125.01 बीघा सरहद मौजा गोलिया जैतमाल पटवार क्षैत्र गोलिया जैतमाल तहसील गुड़ामालानी में आई हुई है। पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर काश्त करते आ रहे है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 01 से 08 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने एवं पक्षकारान का पृथक–पृथक खातेदारी अंकन करने हेतु पटवारी से मिलकर प्रस्ताव मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नक्शे तैयार करवाये गये। रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 ने पटवारी हल्का को प्रभावित करते हुए विभाजन हेतु पूर्व में तैयार नक्शो को बदलते हुए अपीलांटस व रेस्पोडेंटस के नक्शे पर दोबारा हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान करवाये गये। इस समस्त कार्यवाही का अपीलांट को ज्ञान नहीं होने दिया गया तथा विभाजन आवेदन पत्र न्याय आपके द्वार अभियान 2015 के तहत तहसीलदार गुड़ामालानी से विभाजन आदेश पारित करवाया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 04 से 07 के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 11 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 व 08 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होने के बावजूद हाजिर नहीं आये फलस्वरूप रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 व 08 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

3. हमने दोनों पक्षो की बहस सुनी। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि खसरा नंबर 209 रकबा 99.05 बीघा, खसरा नंबर 228 रकबा 25.16 बीघा कुल रकबा 125.01 बीघा मौजा गोलिया जैतमाल पटवार मण्डल गोलिया जैतमाल तहसील गुड़ामालानी में आई हुई है इसी आराजी को पक्षकार आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर काश्त करते आ रहे है। रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 ने पटवारी हल्का गोलिया जेतमाल से मिलीभगत कर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 10.06.2015 में दर्शाये गये नक्शे से भिन्न नक्शा तैयार कर तरमीम कर, रेकर्ड में अमलदरामद किया गया। अपीलाधीन आदेश का सर्वप्रथम अपीलान्ट को इस विभाजन आदेश का दिनांक

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

24.05.2016 को वास्तविक ज्ञान हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश की है। अपीलांटस की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित विभाजन आदेशनुसार मौके पर तरमीम एवं रेकर्ड में अमलदरामद किया जावें।

4. इसके जवाब में रेस्पोडेंटस संख्या 04 व 07 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया कि विभाजन आदेश सभी पक्षकारान की सहमति. से किया गया था। विभाजन में दर्शाये नक्शे से भिन्न नक्शा तैयार कर रेकर्ड में अमलदरामद हल्का पटवारी द्वारा किया गया। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित विभाजन आदेश के अनुसार भौतिक कब्जा काश्त अनुसार रेकर्ड में तरमीम की जाती है, तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

5. हमने अपीलांटस के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंटस सं. 03 से 07 के अधिवक्ता की बहस पर पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 10.06.2015 के विरूद्व पेश की है। अपीलांटस व रेस्पोडेंटस की पैतृक भूमि खसरा नंबर 209 रकबा 99.05 बीघा, खसरा नंबर 228 रकबा 25.16 बीघा कुल रकबा 125.01 बीघा मौजा गोलिया जैतमाल पटवार मण्डल गोलिया जैतमाल तहसील गुड़ामालानी में आई हुई है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। एग्रीमेंट के साथ प्रस्तुत नक्शे में भरे गये रंगो के अनुसार समस्त पक्षकारो की सहमति थी। परन्तु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 10.06.2015 में दर्शाये नक्शे से भिन्न नक्शा पटवारी हल्का गोलिया जैतमाल द्वारा दोबारा तैयार कर तरमीम एवं रेकर्ड में अमलदरामद करने की कार्यवाही की गइ। अपीलांट नें अपील देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं, अपीलाधीन आदेश दिनांक10.6.2015 के संलग्न् पेश मूल विभाजन आदेश के नक्शे अनुसार तरमीम एवं रेकर्ड में अमलदरामद किया जावें। पटवारी हल्का गोलिया जैतमाल द्वारा विभाजन आदेश की तरमीम का अमलदरामद नहीं कर अपनी मर्जी से तरमीम का रेकर्ड में अमलदरामद कर अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवं घोर लापरवाही बरती है, जिसके लिये इनके विरूद्व अनुशासनात्मक

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

उदासीनता एवं घोर लापरवाही बरती है, जिसके लिये इनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग जिला कार्यालय बाड़मेर को भेजी जावें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 28.02.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)